

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 02.11.2023 को सुबह 10:00 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा राज्य में स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
2. श्री एम जी शेरपा, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, गुरुग्राम
3. श्री चमन लाल, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), कार्यालय विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), सीएलए, नई दिल्ली
4. श्री अशोक कुमार, आईईओ, विभाग उद्योग विभाग, गुरुग्राम

- इसके अलावा, बैठक के दौरान i) श्री राजेश कुमार, उप. विकास आयुक्त, ii) श्री वाई के कंवारिया, निर्दिष्ट अधिकारी, iii) श्री प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त (ADC) और iv) श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी, अनुमोदन समिति की सहायता के लिए भी उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है, और बैठक आगे बढ़ सकती है।
- प्रारंभ में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों / विकासक / इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

### **1. दिनांक 05.10.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-**

चूँकि 05.10.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, 05.10.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की भी पुष्टि की गई।

### **मद संख्या 2: डेवलपर्स के अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन का प्रस्ताव।**

#### **2.1: मेसर्स केंडर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड**

2.1.1 मेसर्स केंडर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय यादव और श्री अमरीक सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और सामग्रियों की प्रस्तावित सूची की आवश्यकता के बारे में बताया।

2.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद केंडर विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक मेसर्स केंडर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित

सुरेंद्र मलिक

सामग्रियों की सूची को मंजूरी दे दी। यह ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में उनके आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में निम्नलिखित डिफ़ॉल्ट अधिकृत संचालन के लिया था:-

क्रम संख्या	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफ़ॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1.	प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	206.29
2.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण संजाल (Network) जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सबस्टेशन, पाइपलाइन संजाल (Network) आदि शामिल हैं	04	201.35
3.	छिड़काव, आग और धूम संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	21	251.50
4.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	251.50
5.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें,) गंदी नालियां, तूफानी जल नालियां और उपयुक्त क्षमता के जल चैनल।	02	30.18
6.	ठोस और तरल अपशिष्ट संग्रह, वाहित मल और कचरा निपटान के लिए पाइपलाइन और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे सहित उपचार और निपटान संयंत्र, वाहित मल साफ़ करने के संयंत्र।	03	49.85
7.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	49.40
8.	सड़क पर स्ट्रीट लाइट, सिग्नल और संकेत	1	22.60
9.	साइट की परिधि के भीतर और आसपास के प्रवेश, निकास और अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकी आदि।	11	23.80
10.	इंटरनेट संयोजकता (Internet connectivity) सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	5	14.75
11.	भूनिर्माण और जल निकास।	8	30.00
		<b>कुल;</b>	<b>1028.51</b>

2.1.3. यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुरेंद्र मलिक

**मद संख्या 3: इकाई के क्षेत्र विस्तार/क्षेत्रफल को आंशिक रूप से हटाने का प्रस्ताव:-****3.1. मेसर्स केवेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई -III)-क्षेत्र का विस्तार।**

3.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद क्षेत्र ('34493 वर्ग फुट क्षेत्र को जोड़कर, जिसमें 6वीं मंजिल पर 3925 वर्ग फुट, टॉवर-बी, बिल्डिंग नंबर 6 और 6ठी मंजिल पर 30568 वर्ग फीट, टॉवर-ए, बिल्डिंग नंबर 6' शामिल हैं)के विस्तार के और अनुमानों में संशोधन लिए मेसर्स केवेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई -III) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह इकाई डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेक्टर-24 और 25ए, डीएलएफ चरण-III, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है। संशोधित अनुमानों के लिए अनुमोदन, इसे प्रस्तुत करने के अधीन है और फ़ाइल पर अनुमोदित किया जाएगा।

3.1.2. यह अनुमोदन निम्नलिखित दस्तावेज़/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अधीन है:-

- 5 वर्षों के वर्तमान ब्लॉक यानी 30.05.2024 (एलओए की वैधता की तारीख) तक संशोधित अनुमान प्रस्तुत करना।
- 67 सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के अनुसार विवरण सहित स्वदेशी इनपुट सेवाओं की सूची।
- वर्तमान क्षेत्रफल (27476 वर्ग फुट के स्थान पर 2727 वर्ग फुट) तथा पट्टा विलेख की तिथि (29.11.2018 के स्थान पर 10.12.2023) को सही करने के बाद संशोधित सहमति पत्र।

**3.2. मेसर्स सैक्सो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-क्षेत्र का विस्तार।**

3.2.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स सैक्सो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने गुडगांव इंफोस्पेस लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, ग्राम इंडाहेड़ा, सेक्टर-21, गुरुग्राम हरियाणा) में स्थित अपनी इकाई में 'चौथी मंजिल, एमएलसीपी ब्लॉक पर 45460 वर्ग फुट क्षेत्र' जोड़कर क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

**3.3. मेसर्स डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-III)-क्षेत्र का विस्तार।**

3.3.1. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद 'छठी मंजिल, ब्लॉक-बी2 पर 34001 वर्ग फुट क्षेत्र' जोड़कर क्षेत्र के विस्तार और नीचे दी गई तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार अनुमानों में संशोधन के लिए मेसर्स डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (इकाई- III) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह इकाई डीएलएफ लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, ग्राम सिलोखेड़ा, सेक्टर-30, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है।

सुरेंद्र मलिक

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	विवरण (5 साल के लिए)	मौजूदा अनुमान (जैसा कि 05.10.2023 को आयोजित यूएसी द्वारा अनुमोदित)	संशोधित अनुमान
i.	निर्यात का अनुमानित एफओबी (FOB) मूल्य	63557.00	85340.00
ii.	विदेशी मुद्रा व्यय	4069.00	5667.00
iii.	एनएफई (NFE) आय	59488.00	79673.00
iv.	आयातित पूंजीगत सामान	1680.00	2560.00
v.	स्वदेशी पूंजीगत सामान	1020.00	1570.00
vi.	स्वदेशी कच्चा माल	1670.47	1845.47
vii.	आयातित इनपुट सेवाएँ	4440.14	6638.14
viii.	रोजगार	800 संख्या	1100 संख्या

3.3.2. यह अनुमोदन आयातित और स्वदेशी इनपुट सेवाओं की सही सूची प्रस्तुत करने के अधीन है।

#### 3.4. मेसर्स एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (क्षेत्र का आंशिक विलोपन)

3.4.1. मेसर्स एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री धर्म युधिष्ठिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.4.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के क्षेत्र को आंशिक रूप से यानी '64212 वर्ग फुट, 8वीं और 9वीं मंजिल पर, टॉवर-ए, बिल्डिंग नंबर 6', गुडगांव इन्फोस्पेस लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांव इंडाहेडा, सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) हटाने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इकाई को हटाए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से 'अदेय प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा।

#### मद संख्या 4: इकाई के उद्यमी को बदलने का प्रस्ताव।

##### 4.1: मेसर्स. एक्सचेंजर ऑपरेशंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।

4.1.1. मेसर्स एक्सचेंजर ऑपरेशंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने गुडगांव इन्फोस्पेस लिमिटेड, आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, ग्राम इंडाहेडा सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित इकाई के एलओए नंबर 10/70/2013-विशेष आर्थिक क्षेत्र/9703 दिनांक 19.09.2013 के संबंध में उद्यमी के परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। दोनों कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित व्यापार हस्तांतरण समझौता (बीटीए) दिनांक 27.09.2023 वाणिज्य कर विभाग के अनुसार, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार, उद्यमी का परिवर्तन 'एक्सचेंजर ऑपरेशंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' से 'एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड'

सुरेंद्र मलिक

में है। इकाई ने मेसर्स एक्सचेंजर ऑपरेशंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (विक्रेता) और मेसर्स एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (खरीदार) के बीच हस्ताक्षरित दिनांक 27.09.2023 के व्यापार हस्तांतरण समझौता (BTA) की प्रति जमा कर दी है।

4.1.2. यह ध्यान दिया गया कि इकाई द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक था: -

- I. मेसर्स एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के शेष निदेशकों यानी सुश्री एम्मा जिंदल और श्री अंकार सिंह लिदर के पासपोर्ट / आवासीय पते के प्रमाण और पैन कार्ड की प्रतियां।
- II. एलओए नंबर 10/70/2013-विशेष आर्थिक क्षेत्र/9703 दिनांक 19.09.2013 के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के उद्यमी को मेसर्स एक्सचेंजर ऑपरेशंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में बदलने के लिए मेसर्स गुडगांव इंफोस्पेस लिमिटेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक से सहमति पत्र / अनापति प्रमाण पत्र (NOC)।
- III. बीटीए की अनुसूची 2 में, एलओए का वर्ष 2013 के बजाय 2012 के रूप में उल्लिखित है, इसलिए संशोधित बीटीए समझौता प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4.1.3. समिति ने पाया कि वाणिज्य विभाग के निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 (निर्देश संख्या 89 दिनांक 17.05.2018 और निर्देश संख्या 90 दिनांक 03.08.2018 के अधिक्रमण में) में कहा गया है कि "(i) परिवर्तन सहित पुनर्गठन नाम, शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव, व्यवसाय हस्तांतरण व्यवस्था, अदालत द्वारा अनुमोदित विलय और डिमर्जर, संविधान में बदलाव, निदेशकों में बदलाव आदि संबंधित इकाई अनुमोदन समिति (अनुमोदन समिति) द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते कि विकासक / सह-विकासक / इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर निकलने या बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनेगी और एक चालू संस्था के रूप में काम करना जारी रखेगी। ऐसे पुनर्गठन पर विकासक/सह-विकासक/इकाई की सभी देनदारियां अपरिवर्तित रहेंगी। ऐसा पुनर्गठन उक्त निर्देश में उल्लिखित सुरक्षा उपायों के अधीन होगा।

4.1.4. मेसर्स एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री धर्म युधिष्ठिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.1.5 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद एलओए संख्या 10/70/2013-विशेष आर्थिक क्षेत्र/9703 दिनांक 19.09.2013 के संबंध में उद्यमी को 'एक्सचेंजर ऑपरेशंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' से एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड', यह अनुमोदन वाणिज्य विभाग (DOC) के निर्देश संख्या 109 में निर्धारित सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन है' में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जैसा कि ऊपर पैरा 4.1.2 में बताया गया है, अनुमोदन दस्तावेज जमा करने पर निर्भर है।

**मद संख्या 5: विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों के एलओए के विलय का प्रस्ताव:-**

**5.1 मेसर्स एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड**

सुरेंद्र मलिक

5.1.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि एलओए संख्या 10/70/2013-विशेष आर्थिक क्षेत्र/9703 दिनांक 19.09.2013 के संबंध में उद्यमी के परिवर्तन के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप 'एक्सचर ऑपरेशंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' से 'एक्सचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड', मेसर्स एक्सचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड; इकाई द्वारा एलओए संख्या 10/70/2013-विशेष आर्थिक क्षेत्र/9703 दिनांक 19.09.2013 को एलओए संख्या 10/37/2011-विशेष आर्थिक क्षेत्र/3011 दिनांक 27.04.2011 में विलय का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। यह इकाई गुडगांव इंफोस्पेस लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांव इंडाहेडा, सेक्टर-21, गुडगांव (हरियाणा) में स्थित है। इकाई ने उल्लेख किया है कि वे क्रमांक 10/37/2011-SEZ/3011 दिनांक 27.04.2011 को जारी रखेंगे। इकाई ने उपरोक्त एलओए के विलय पर संशोधित समेकित अनुमान प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

क्रम संख्या	विवरण (5 साल के लिए)	अनुमान (रूपये लाख में)
I.	निर्यात का अनुमानित एफओबी (FOB) मूल्य	1711409.00
II.	विदेशी मुद्रा व्यय	52236.00
III.	एनएफई (NFE) आय	1659173.00
IV.	आयातित पूंजीगत सामान	15848.00
V.	स्वदेशी पूंजीगत सामान	36147.00
VI.	स्वदेशी कच्चा माल	0.00
VII.	आयातित इनपुट सेवाएँ	127068.00
VIII.	रोज़गार	21905 संख्या

5.1.2. समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 को ध्यान दिया, जिसमें कहा गया है कि "शर्त यह भी कि अनुमोदन समिति एक ही कंपनी या फर्म की दो या दो से अधिक इकाइयों के अनुमोदन पत्रों के विलय के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। शर्त यह है कि ये इकाइयां एक ही विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि उस इकाई के उत्पादन की शुरुआत की तारीख से होगी जो पहले शुरू हुई थी और आयकर छूट पहली इकाई का संचालन शुरू की तारीख से विचार किया जाएगा।

5.1.3. श्री धर्म युधिष्ठिर, मेसर्स के महाप्रबंधक एक्सचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुईं और प्रस्ताव के बारे में बताया।

5.1.4. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उद्यमी के बदलाव को ध्यान में रखते हुए एलओए संख्या 10/70/2013-विशेष आर्थिक क्षेत्र/9703 दिनांक 19.09.2013 को एलओए संख्या 10/37/2011-विशेष आर्थिक क्षेत्र/3011 दिनांक 27.04.2011, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के संदर्भ में विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के

सुरेंद्र मलिक

अधीन है कि विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि इकाई के उत्पादन की शुरुआत की तारीख से होगी जो 31.07.2011 से पहली बार शुरू हुई थी और आयकर छूट पहली इकाई का परिचालन 31.07.2011 की तारीख से प्रारंभ जाएगा। विलय किए गए एलओए की वर्तमान ब्लॉक अवधि 31.07.2021 से 30.07.2026 तक होगी। यह अनुमोदन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर आधारित है:-

- I. इकाई को अधिकृत संचालन का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसे वे विलय किए गए एलओए के साथ बनाए रखना चाहते हैं।
- II. एलओए के विलय के लिए इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक से 'अनापति प्रमाण पत्र (NOC)' जमा करने की आवश्यकता है।
- III. संबंधित कंपनियां इस विषय पर एमसीए/आरओसी की नीति और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।

5.1.5 समिति ने नाण्डा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विशेष आर्थिक क्षेत्र डिवीजन को उद्यमी के परिवर्तन ('एक्सचेंजर ऑपरेशंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' से 'एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' तक) और उक्त एलओए संख्या 10/70/2013-विशेष आर्थिक क्षेत्र/9703 दिनांक 19.09.2013 को एलओए संख्या 10/37/2011-विशेष आर्थिक क्षेत्र/3011 दिनांक 27.04.2011 में विलय पर एक साथ विचार/अनुमोदन की मंजूरी के लिए एक संयुक्त पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

## 5.2. मेसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

5.2.1 मेसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने एलओए संख्या 10/27/2014-विशेष आर्थिक क्षेत्र/7610 दिनांक 09.07.2014, एलओए संख्या 10/26/2014- विशेष आर्थिक क्षेत्र/10668 दिनांक 13.10.2014 एलओए नंबर 10/02/2015-विशेष आर्थिक क्षेत्र/1685 दिनांक 18.02.2015 और एलओए नंबर 10/09/2021-विशेष आर्थिक क्षेत्र/6352 दिनांक 04.08.2021 को एलओए नंबर 10/84/2011-विशेष आर्थिक क्षेत्र/5850 दिनांक 08.08.2011 के विलय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में कैंडर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों के लिए है, इकाई ने उपरोक्त तीन एलओए के विलय पर संशोधित समेकित अनुमान प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	विवरण (5 साल के लिए)	अनुमान (रूपये लाख में)
I.	निर्यात का अनुमानित एफओबी (FOB) मूल्य	527105.64
II.	विदेशी मुद्रा व्यय	35064.98
III.	एनएफई (NFE) आय (i-ii)	492040.66
IV.	आयातित पूंजीगत सामान	34814.98

सुरेंद्र मलिक

क्रम संख्या	विवरण (5 साल के लिए)	अनुमान (रूपये लाख में)
V.	स्वदेशी पूंजीगत सामान	23034.24
VI.	स्वदेशी कच्चा माल	250.00
VII.	आयातित इनपुट सेवाएँ	28000.00
VIII.	रोज़गार	7751 संख्या

5.2.2. विलय किए गए एलओए नंबर के तहत अधिकृत संचालन 10/84/2011-विशेष आर्थिक क्षेत्र/5850 दिनांक 08.08.2011 "आईटी/आईटीईएस अर्थात् बाजार अनुसंधान सेवाएँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाएँ, अनुसंधान और विकास सेवाएँ, सामग्री विकास, व्यवसाय सहायक सेवाएँ और व्यवसाय सहायता सेवाएँ" होंगी।

5.2.3. समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 को नोट किया, जिसमें कहा गया है कि "बशर्ते कि अनुमोदन समिति एक ही कंपनी या फर्म की दो या दो से अधिक इकाइयों के अनुमोदन पत्रों के विलय के प्रस्तावों को इस शर्त के अधीन मंजूरी दे सकती है कि ये इकाइयाँ एक ही विशेष आर्थिक क्षेत्र में आती हैं और विलय के बाद, गणना के लिए ब्लॉक अवधि शुद्ध विदेशी मुद्रा उस इकाई के उत्पादन शुरू होने की तारीख से होगी जो पहले शुरू हुई थी और आयकर छूट पहली इकाई के संचालन शुरू होने की तारीख से मानी जाएगी"।

5.2.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद एलओए संख्या 10/27/2014-विशेष आर्थिक क्षेत्र/7610 दिनांक 09.07.2014, एलओए संख्या 10/26/2014-विशेष आर्थिक क्षेत्र/10668 13.10.2014, एलओए संख्या 10/02/2015-विशेष आर्थिक क्षेत्र/1685 दिनांक 18.02.2015 और एलओए संख्या 10/09/2021-विशेष आर्थिक क्षेत्र/6352 दिनांक 04.08.2021 को एलओए संख्या 10/84/2011-विशेष आर्थिक क्षेत्र/5850 दिनांक 08.08.2011 के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार होगा। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि उस इकाई के उत्पादन शुरू होने की तारीख से होगी जो सबसे पहले शुरू हुई यानी 10.05.2012 से और आयकर छूट पहली इकाई के संचालन की शुरुआत की तारीख से यानी 10.05.2012 से मानी जाएगी। मर्ज किए गए एलओए की वर्तमान ब्लॉक अवधि 10.05.2022 से 09.05.2027 तक होगी। यह अनुमोदन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर आधारित है:-

- विदेशी मुद्रा व्यय के ब्रेक-अप में, मशीनरी (पूंजीगत सामान) के आयात का कुल मूल्य 30776.63 लाख रुपये बताया गया है, जबकि इकाई ने 34814.98 लाख रुपये के आयातित पूंजीगत सामान का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, विदेश यात्रा पर खर्च 4288.35 लाख रुपये

सुरेंद्र मलिक

बताया गया है, जबकि कुल आयतित इनपुट सेवाएं 250 लाख रुपये प्रस्तावित हैं। इसलिए, विदेशी मुद्रा व्यय का संशोधित ब्यौरा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ii. एलओए संख्या 10/02/2015-विशेष आर्थिक क्षेत्र/1685 दिनांक 18.02.2015 के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए एपीआर और एलओए संख्या 10/09/2021-विशेष आर्थिक क्षेत्र/6352 दिनांकित के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एपीआर 04.08.2021.

### मद संख्या 6: विशेष आर्थिक क्षेत्र के संशोधित भवन योजना/अधिभोग प्रमाण पत्र का अनुमोदन।

#### 6.1 मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड (संशोधित भवन योजना)।

6.1.1 श्री हितेश शर्मा, वरिष्ठ नगर योजनाकार (एम) मुख्यालय, कार्यालय डीटीसीपी हरियाणा, चंडीगढ़ मेमो संख्या विशेष आर्थिक क्षेत्र-13/जेडी(आरए)/2023/33353 दिनांक 06.10.2023 द्वारा मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड की सेक्टर-24 और 25ए, गुरुग्राम (हरियाणा) में 25.4606 एकड़ की आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र भूमि में आने वाली बिल्डिंग-ए की संशोधित बिल्डिंग योजना (द्वितीय संशोधन) के अनुमोदन के लिए टिप्पणियां/सिफारिश भेज दी है। श्री शर्मा ने अनुशंसा की है कि संशोधित भवन योजना को उनके उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 06.10.2023 में उल्लिखित शर्तों के साथ अनुमोदित किया जा सकता है।

6.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड सेक्टर-24 और 25ए, गुरुग्राम हरियाणा में आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में आने वाली बिल्डिंग-ए के संशोधित भवन योजना (द्वितीय संशोधन) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह वरिष्ठ नगर योजनाकार (एम) मुख्यालय, कार्यालय डीटीसीपी हरियाणा, चंडीगढ़ से प्राप्त सिफारिश के आधार पर था। अनुमोदन वरिष्ठ नगर योजनाकार (एम) मुख्यालय, ओ/ओ डीटीसीपी हरियाणा, चंडीगढ़ के मेमो नंबर विशेष आर्थिक क्षेत्र -13/ जेडी (RA)/2023/33353 दिनांक 06.10.2023 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है।

#### 6.2. मैसर्स आईटीपीजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (अधिभोग प्रमाणपत्र)।

6.2.1 जिला नगर योजनाकार (मुख्यालय), कार्यालय डीटीसीपी हरियाणा, चंडीगढ़ ने अपने पत्र मेमो नंबर SEZ-66-I-A/ जेडी (आरए)/2023/35042 दिनांक 18.10.2023 द्वारा ग्राम बेहरामपुर, जिला-गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स आईटीपीजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्मित "चरण -3 और सीमा शुल्क भवन" के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रस्ताव पर टिप्पणियां/सिफारिश भेज दी है। टीपी (मुख्यालय) ने सूचित किया है कि विकासक ने स्वीकृत भवन योजना से हटकर साइट पर निर्माण किया है, जो शमनीय उल्लंघन है और विकासक ने शमन शुल्क जमा कर दिया है। डीटीपी (मुख्यालय) ने सिफारिश की है कि समिति उक्त मेमो दिनांक 18.10.2023 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन अधिभोग प्रमाणपत्र को मंजूरी दे सकती है।

6.2.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद ग्राम बेहरामपुर जिला-गुरुग्राम (हरियाणा) में मैसर्स आईटीपीजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक

सुरेंद्र मलिक

हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्मित "चरण -3 और सीमा शुल्क भवन" के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन जिला नगर योजनाकार (मुख्यालय), कार्यालय डीटीसीपी हरियाणा, चंडीगढ़ के मेमो नंबर SEZ-66-IA/ जेडी (आरए)/2023/35042 दिनांक 18.10.2023 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है।

### मद संख्या 7: सुविधा प्रदाताओं को स्थान आवंटन का प्रस्ताव।

#### 7.1. मेसर्स मिकाडो रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, डेवलपर।

7.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स मिकाडो रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने मेसर्स मायरा फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम बेहरामपुर, गुरुग्राम (हरियाणा) में अपने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में ग्राउंड फ्लोर, टावर-1 पर 7112 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र के आवंटन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार एक व्यायामशाला की स्थापना और विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधा बनाए रखने के संचालन के लिए था। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि मेसर्स मायरा फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड को स्थापना, संचालन के लिए कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। मेसर्स मायरा फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र परिसर में ऐसी सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए, जहां भी लागू हो, प्रासंगिक वैधानिक अधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) / मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करेगा। इस सुविधा का उपयोग विशेष रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र और वहां स्थित इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। यह अनुमोदन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है: -

i. मेसर्स मायरा फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड से इस आशय का एक वचन पत्र कि वे एसईजेड में ऐसी सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए एसईजेड योजना के तहत किसी भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर लाभ का दावा नहीं करेंगे। वे प्रस्तावित सुविधाओं के शुरू होने से पहले राज्य में लागू अपेक्षित लाइसेंस और अन्य मंजूरी प्राप्त करेंगे। वे राज्य और/या केंद्र सरकार के राजस्व विभाग, जैसा भी मामला हो, के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार खरीदी/बेची गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं का उचित रिकॉर्ड रखेंगे।

#### 7.2: मेसर्स आईटीपीजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, डेवलपर।

7.2.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी/आईटीईएस के प्रसंस्करण क्षेत्र में ग्राउंड फ्लोर पर 900 वर्ग फुट क्षेत्र के आवंटन के लिए विकासक, मेसर्स मेसर्स रूटफील्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम बेहरामपुर, गुरुग्राम (हरियाणा) में आईटीपीजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार, एक 'टक शॉप (ढाबा)' की स्थापना और संचालन करना था। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधा स्थापित करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए मेसर्स रूटफील्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सुरेंद्र मलिक

को कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। मेसर्स रूटफिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र परिसर में ऐसी सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए, जहां भी लागू हो, प्रासंगिक वैधानिक अधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) / मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करेगा। इस सुविधा का उपयोग विशेष रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र और वहां स्थित इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। यह अनुमोदन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है: -

- I. मेसर्स रूटफिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से इस आशय का एक उपक्रम आवश्यक है कि वे विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऐसी सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना के तहत किसी भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर लाभ का दावा नहीं करेंगे। वे प्रस्तावित सुविधाओं के शुरू होने से पहले राज्य में लागू अपेक्षित लाइसेंस और अन्य मंजूरी प्राप्त करेंगे। वे राज्य और/या केंद्र सरकार के राजस्व विभाग, जैसा भी मामला हो, के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार खरीदी/बेची गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं का उचित रिकॉर्ड रखेंगे। इस सुविधा का उपयोग विशेष रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र और वहां स्थित इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।
- II. विकासक को यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि मेसर्स रूटफिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर देने के लिए प्रस्तावित भूमि विशेष आर्थिक क्षेत्र के मास्टर प्लान में प्रस्तावित गतिविधि के लिए अनुमोदित है।

#### मद संख्या 8. इकाई के प्रदर्शन की निगरानी।

##### 8.1. मेसर्स एक्ससीडांस कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-I)

8.1.1 मेसर्स एक्ससीडांस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-I), कैंडर गुडगांव में एक इकाई, वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांव टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में एलओए नंबर 10/06/2018-SEZ/2614 दिनांक 07.03.2018 ने 5 वर्ष का पहला ब्लॉक 29.08.2023 को पूरा कर लिया था। इकाई का एलओए 29.08.2028 तक नवीनीकृत किया गया है। एनविशेष आर्थिक क्षेत्र सीए फर्म द्वारा विधिवत सत्यापित, स्थापना के बाद से एपीआर के अनुसार इकाई के वर्ष-वार निर्यात प्रदर्शन और एनएफई आय की स्थिति इस प्रकार है: -

(लाख रुपये में)

साल	निर्यात का एफओबी मूल्य	एनएफई कमाई	डीटीए बिक्री	लंबित विदेशी मुद्रा प्राप्ति
2018-19	3229.74	3213.17	0.00	0.00
2019-20	6418.05	6399.19	0.00	0.00
2020-21	9772.99	9752.21	0.00	0.00
2021-22	9980.63	9944.10	0.00	0.00
2022-23	19644.25	19602.84	0.00	0.00
<b>कुल:</b>	<b>49045.66</b>	<b>48911.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

8.1.2. अनुमोदन समिति ने नियम 54 के संदर्भ में इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और उचित विचार-विमर्श के बाद 31.03.2023 तक इकाई द्वारा अर्जित सकारात्मक एनएफई पर ध्यान दिया।

सुरेंद्र मलिक

**8.2. मेसर्स एक्ससीडांस कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-II)**

8.2.1 मेसर्स एक्ससीडांस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-II), केंडर गुडगांव में एक इकाई, वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में, जिसका एलओए नंबर 10/07/ है। 2018-SEZ/2579 दिनांक 07.03.2018 ने 5 वर्ष का पहला ब्लॉक 04.08.2023 को पूरा कर लिया था। इकाई का एलओए 04.08.2028 तक नवीनीकृत किया गया है। एनविशेष आर्थिक क्षेत्र सीए फर्म द्वारा विधिवत सत्यापित, स्थापना के बाद से एपीआर के अनुसार इकाई के वर्ष-वार निर्यात प्रदर्शन और एनएफई आय की स्थिति इस प्रकार है: -

(लाख रुपये में)

साल	निर्यात का एफओबी मूल्य	एनएफई कमाई	डीटीए बिक्री	लंबित विदेशी मुद्रा प्राप्ति
2018-19	5842.86	5842.33	0.00	0.00
2019-20	7858.55	4849.28	0.00	0.00
2020-21	8666.17	8656.90	0.00	0.00
2021-22	8485.88	8476.61	0.00	0.00
2022-23	12988.87	12973.36	0.00	0.00
<b>कुल:</b>	<b>43842.23</b>	<b>43791.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

8.2.2. अनुमोदन समिति ने नियम 54 के संदर्भ में इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और उचित विचार-विमर्श के बाद 31.03.2023 तक इकाई द्वारा अर्जित सकारात्मक एनएफई पर ध्यान दिया।

**अनुपूरक कार्यसूची मद:****1. सुविधा प्रदाताओं को स्थान आवंटन का प्रस्ताव:-****1.1. मेसर्स केंडर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, डेवलपर।**

1.1.1 मेसर्स केंडर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने मेसर्स एलन वेंचर्स, बेंगलुरु, कर्नाटक के साथ 3 साल की अवधि के लिए दिनांक 13.09.2023 को ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र के सामान्य क्षेत्र के साथ समय-समय पर उन्हें प्रदान किए जाने वाले निर्दिष्ट स्थान पर अस्थायी संरचना/स्टॉल/कियोस्क स्थापित करके निम्नलिखित व्यावसायिक प्रचार गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक समझौता किया है: -

- i. बैंकिंग वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफएसआई)
- ii. दूरसंचार
- iii. इमेजिंग प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (डीसीआईटी)
- iv. आवासीय रियल एस्टेट
- v. तेजी से बढ़ते उपभोक्ता (एफएमसीजी)

सुरेंद्र मालिक

## vi. ऑटोमोबाइल

1.1.2 विकासक ने सूचित किया है कि उक्त गतिविधियों का उद्देश्य ब्रांड प्रचार, उत्पाद प्रदर्शन, प्रायोजन, सार्वजनिक प्रदर्शन, और ऐसी अन्य गतिविधियाँ जिन पर समय-समय पर सहमति हो सकती है, विशेष रूप से ज़ोन के कर्मचारियों के लिए है। अस्थायी संरचना/स्टॉल/कियोस्क स्थापित करने के लिए सभी सामग्री और इन गतिविधियों को करने के लिए उत्पादों को मेसर्स एलन वेंचर्स द्वारा वापसी योग्य आधार पर ज़ोन में लाया जाएगा और ज़ोन में किसी भी प्रकार के उत्पादों की बिक्री नहीं की जाएगी। विकासक ने उक्त गतिविधियों को चलाने के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया है।

1.1.3. मेसर्स केंडर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय यादव और श्री अमरीक सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि क्रम संख्या (iii) पर गतिविधि का नाम अनजाने में "उपभोक्ता टिकाऊ और सूचना प्रौद्योगिकी (सीडीआईटी)" के बजाय "इमेजिंग प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सीडीआईटी)" के रूप में उल्लेखित है। उन्होंने आगे बताया कि मेसर्स एलन वेंचर्स के साथ कोई पट्टा विलेख निष्पादित नहीं की जाएगी क्योंकि आवंटित करने के लिए कोई विशिष्ट स्थान प्रस्तावित नहीं है। ब्रांड प्रमोशन, उत्पाद प्रदर्शन, प्रायोजन, सार्वजनिक प्रदर्शन और ऐसी अन्य गतिविधियों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के सामान्य क्षेत्र के साथ मेसर्स एलन वेंचर्स को समय-समय पर निर्दिष्ट स्थान पर केवल अस्थायी संरचना / स्टॉल / कियोस्क प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, मेसर्स एलन वेंचर्स संरचना/स्टॉल/कियोस्क, उत्पादों और विकासक को भुगतान किए गए शुल्क पर शुल्क और करों में किसी भी छूट का लाभ नहीं उठाएगा।

1.1.4 समिति ने पाया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम (11) के उप नियम 5 के प्रावधान के अनुसार, कैंटीन, सार्वजनिक टेलीफोन बूथ, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, क्रेच और ऐसी अन्य सुविधाएं जैसी सुविधाएं बनाने के लिए जो इकाई के विशेष उपयोग के लिए आवश्यक हो सकती हैं, विकासक, अनुमोदन समिति के पूर्व अनुमोदन से, पट्टे के आधार पर भूमि या निर्मित स्थान प्रदान कर सकता है,

1.1.5 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सामान्य क्षेत्र में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए और मेसर्स एलन वेंचर्स न तो क्षेत्र में कुछ भी बेचेंगे और न ही किसी कर/शुल्क में छूट का लाभ उठाएंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां शुरू करने के प्रस्ताव को समिति ने मंजूरी दे दी। यह मंजूरी इस शर्त पर है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां करने के लिए मेसर्स एलन वेंचर्स को कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। मेसर्स एलन वेंचर्स को विशेष आर्थिक क्षेत्र परिसर में ऐसी सुविधा के संचालन के लिए, जहां भी लागू हो, संबंधित वैधानिक अधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) / मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करना होगा। विकासक और मेसर्स एलन वेंचर्स लागू भवन उपनियमों/अनुमोदित भवन योजना के अनुसार स्थान उपयोग सहित अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और मेसर्स एलन वेंचर्स माल की आवक और जावक आवाजाही का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेंगे और जब आवश्यकता हो विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमा शुल्क के समक्ष इसे प्रस्तुत करेंगे। विकासक और मेसर्स एलन वेंचर्स विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के

सुरेंद्र मलिक

प्रावधानों और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियमों/निर्देशों का वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यह अनुमोदन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है: -

I. मूल समझौता दिनांक 08.08.2023 को SEZ विकासक और मेसर्स एलन वेंचर्स के बीच निष्पादित किया गया।

II. मेसर्स एलन वेंचर्स से इस आशय का एक वचन पत्र कि वे विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी गतिविधि करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना के तहत किसी भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर लाभ का दावा नहीं करेंगे। वे प्रस्तावित सुविधाओं के शुरू होने से पहले अपेक्षित लाइसेंस और लागू होने वाली अन्य मंजूरी प्राप्त करेंगे। वे राज्य और/या केंद्र सरकार के राजस्व विभाग, जैसा भी मामला हो, के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार खरीदी/बेची गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं का उचित रिकॉर्ड रखेंगे।

### **1.2. मेसर्स कैंडर कोलकाता वन हाई-टेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, सह-विकासक।**

1.2.1. मेसर्स कैंडर कोलकाता वन हाई-टेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, सह-विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने मेसर्स एलन वेंचर्स, बेंगलुरु, कर्नाटक के साथ 3 साल की अवधि के लिए दिनांक 13.09.2023 को एक समझौता किया है। यह समझौता ग्राम इंडाहेडा, सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) में गुडगांव इन्फोस्पेस लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र के सामान्य क्षेत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अस्थायी संरचना/स्टॉल/कियोस्क स्थापित करके निम्नलिखित व्यावसायिक प्रचार गतिविधियों का संचालन करने के लिए था:-

- I बैंकिंग वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफएसआई)
- II. दूरसंचार
- iii. इमेजिंग प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (डीसीआईटी)
- iv. आवासीय रियल एस्टेट
- v. तेजी से बढ़ते उपभोक्ता (एफएमसीजी)
- vi. ऑटोमोबाइल

1.2.2 सह-विकासक ने सूचित किया है कि विशेष रूप से ज़ोन के कर्मचारियों के लिए, उक्त गतिविधियों का संचालन ब्रांड प्रमोशन, उत्पाद प्रदर्शन, प्रायोजन, सार्वजनिक प्रदर्शन और ऐसी अन्य गतिविधियाँ होंगी जिन पर समय-समय पर सहमति हो सकती है। अस्थायी संरचना/स्टॉल/कियोस्क स्थापित करने के लिए सभी सामग्री और इन गतिविधियों को करने के लिए उत्पादों को मेसर्स एलन वेंचर्स द्वारा वापसी योग्य आधार पर ज़ोन में लाया जाएगा और ज़ोन में किसी भी प्रकार के उत्पादों की बिक्री नहीं की जाएगी। सह-विकासक ने उक्त गतिविधियों को चलाने के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया है।

1.2.3. मेसर्स कैंडर कोलकाता वन हाई-टेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय यादव और श्री अमरीक सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे

सुरेंद्र मलिक

में बताया। प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि क्रमांक (iii) पर गतिविधि का नाम अनजाने में "उपभोक्ता टिकाऊ और सूचना प्रौद्योगिकी (सीडीआईटी)" के बजाय "इमेजिंग प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सीडीआईटी)" के रूप में उल्लेखित है। उन्होंने आगे बताया कि मेसर्स एलन वेंचर्स के साथ कोई पट्टा विलेख निष्पादित नहीं की जाएगी क्योंकि आवंटित करने के लिए कोई विशिष्ट स्थान प्रस्तावित नहीं है। ब्रांड प्रमोशन, उत्पाद प्रदर्शन, प्रायोजन, सार्वजनिक प्रदर्शन और ऐसी अन्य गतिविधियों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के सामान्य क्षेत्र के साथ मेसर्स एलन वेंचर्स को समय-समय पर निर्दिष्ट स्थान पर केवल अस्थायी संरचना/स्टॉल/कियोस्क प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, मेसर्स एलन वेंचर्स संरचना/स्टॉल/कियोस्क, उत्पादों और विकासक को भुगतान किए गए शुल्क पर शुल्क और करों में किसी भी छूट का लाभ नहीं उठाएगा।

1.2.4 समिति ने पाया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम (11) के उप नियम 5 के प्रावधान के अनुसार, विकासक, अनुमोदन समिति की पूर्व मंजूरी के साथ, पट्टे के आधार पर, कैंटीन, सार्वजनिक टेलीफोन बूथ, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, क्रेच और ऐसी अन्य सुविधाएं जो इकाई के विशेष उपयोग के लिए आवश्यक हो सकती हैं, बनाने के लिए पट्टे के आधार पर भूमि या निर्मित स्थान प्रदान कर सकता है।

1.2.5 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सामान्य क्षेत्र में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए मेसर्स एलन वेंचर्स न तो क्षेत्र में कुछ भी बेचेगी और न ही किसी कर/शुल्क में छूट का लाभ उठाएगी, विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां शुरू करने के प्रस्ताव को समिति ने मंजूरी दे दी। यह मंजूरी इस शर्त पर है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां करने के लिए मेसर्स एलन वेंचर्स को कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। मेसर्स एलन वेंचर्स को विशेष आर्थिक क्षेत्र परिसर में ऐसी सुविधा के संचालन के लिए, जहां भी लागू हो, संबंधित वैधानिक अधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) / मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करना होगा। सह-विकासक और मेसर्स एलन वेंचर्स लागू भवन उपनियमों/अनुमोदित भवन योजना के अनुसार स्थान उपयोग सहित अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और मेसर्स एलन वेंचर्स माल की आवक और जावक आवाजाही का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर सीमा शुल्कविशेष आर्थिक क्षेत्र से पहले इसे प्रस्तुत करेंगे। सह-विकासक और मेसर्स एलन वेंचर्स विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियमों/निर्देशों का वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यह अनुमोदन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है: -

- i. मूल समझौता दिनांक 08.08.2023 को विशेष आर्थिक क्षेत्र सह-विकासकर्ता और मेसर्स एलन वेंचर्स के बीच निष्पादित किया गया।
- ii. मेसर्स एलन वेंचर्स से इस आशय का एक वचन पत्र कि वे विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी गतिविधि करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना के तहत किसी भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर लाभ का दावा नहीं करेंगे। वे प्रस्तावित सुविधाओं के शुरू होने से पहले अपेक्षित लाइसेंस और लागू होने वाली अन्य मंजूरी प्राप्त करेंगे। वे राज्य और/या केंद्र

सुरेंद्र मलिक

10/07/2022-SEZ

I/52730/202

सरकार के राजस्व विभाग, जैसा भी मामला हो, के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार खरीदी/बेची गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं का उचित रिकॉर्ड रखेंगे।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए बिपिन मेनन

(ए बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त